Capital Small Finance Bank Ltd.

'MIDAS Corporate Park' 3rd Floor, 37 G.T. Road, Jalandhar 144 001 'मिडास कॉर्पोरेट पार्क' तीसरी मंजिल, 37 जीटी रोड, जालंधर 144 001

Request form for opening of Term Deposit (s)/साव	धि जमा खोलने के लिए अनुरोध प्रपत्र
Branch	Date of a/c opening
	खाता खोलने की तिथि sit Account No.
Type of Deposit Period Days/Months/Yea	
जमा का प्रकार अवधि (दिन / महीना / सात	न) ब्याज़ दर /% प्रति वर्ष
सी डी एस टी डी एम आई डी एस वयू आई डी एस	टैक्स सवर 🔲 आर डी 🔲 अन्य
ACCOUNT SUB-TYPE PUBLIC SENIOR CITIZEN STAFF स्टाफ	SALARY Other अन्य
Please open Fixed Deposit account in the name(s) of कृपया निम्नलिखित नाम(मों) में सावधि जमा खाता खोलें APPLICANT	PAN No.
आवेदक नाम Applicant 1	पैन संख्या
Applicant 2	
आवेदक (2) Applicant 3	
	one or Survivor Others
संचालन का तरीका	एक या उत्तरजीवी अन्य ed by Guardian Standing Instructions for RD a/c
सभी के द्वारा संयुक्त रूप से अभिभावक द्वारा संचालित	
CHEQUE NO. Bank's Name Branch CASH/ ₹ चेक संख्या बैंक का नाम शाखा	AMOUNT Ps. of Rs From My/our
वय संख्या व्यक्त का नाम साखा नकद/अंतरण	Operative Account No.
Please Debit my/our Saving/Current Account	
कृपया मेरे/हमारे बचत/खाता/चाल् खाता संख्या को डेंबिट करें for the opening of fixed dep सावधि जमा खाता खोलने के लिए	
 Please pay interest at monthly/quarterly intervals/maturity by credit to SB/CAA/C कृषया ब्याज/का भुगतान मासिक/त्रैमासिक अंतराल/परिपक्वता पर बचत/खाता/चालू खाता में जमा करके 	Banker Cheque/Cash /बैंकर चेक/लकद द्वारा करें
1st Applicant Signature 2nd Applicant Signature (Stamp, if applicable) (Stamp, if applicable)	3rd Applicant Signature (Stamp, if applicable)
NOMINATION FORM (DA-1) नामांकित फार्म NOMINATI Nomination under Section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking	ON REGD NO.नामंकन पंजीकृत न
बैंक में जमा राशि के संदर्भ में बैंकिंग कम्पनीज (नोमीनेशन) अधिनियम 1985 के नियम 2 (1) ।	बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 ZA के अधीन नामांकन
मैं/हम Name(s) and Address(es) of depositor (s) जमा कर्ताओं के नाम तथा पते	
nominate the following person to whom in the event of my / our minor's death the amount of the मेरे/हमारे नाबालिंग की मृत्य हो जाने की स्थिति में, जमाकर्ता की जमाराशि कैंपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	
मर/हमार नाजालिंग को मृत्यु हो जान को स्थित में, जमाकता का जमाराश कायटल स्थाल फाइनस बक लिमटर	Branch शाखा
Name नाम	Relationship with depositor (if any) : जगकता के साथ संबंध (यदि काई)
Address पता	S T A T E P I N
Date of birth (if nominee is minor) जन्मतिथि (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग हो) *As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kumar	वर्ष)
इस तिथि पर नामांकित व्यक्ति नाबालिंग है, मैं /हम निगुक्त करते हैं श्री/श्रीमति/कुमार Relationship with Nominee Age of Appointee (Y	ears)
नामांकित के साथ संबंध	of my / our / minor's death during the minority of the nominee
मेरे / हमारे / अवयस्क की मृत्यु नामांकित व्यक्ति के अवश्यक रहने के दौरान होने की स्थिति	
1st Applicant Signature 2nd Applicant Signature (Stamp, if applicable) (Stamp, if applicable)	3rd Applicant Signature (Stamp, if applicable)
Witness*** साक्षी***	
Name Name नाम नाम	
***Signature इस्ताक्षर Witness 1 ***Signatur	ure इस्ताक्षर Witness 2
Address Address	
पता पता	amination should be sized by a result to 5 % and 5 %
* Strike out if nominee is not a minor, ** Where the deposit is made in the name of minor, the n behalf of the minor. * यदि नियोक्ता नाबालिग नहीं है तो काट दें। ''यदि राशि नाबालिग के नाम से जमा की गई है तो ना	
Capital Small Finance Bank	DA 1
ACKNOWLEDGEMENT - We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of:	DA I
Name of the Nominee	Age:Years.
with respect to Your A/c. No(s) Nomination Regd. No	
Date of Receipt form	Signature of bank official with seal

S.No.



- Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses. अगुठे के निशान की पुष्टि दो गवाहो दवारा की जानी चाहिए।
- In case of renewal without any change in the existing mode of operation, the relative account opening form be treated as valid and continuing 2 मौजूदा संचालन के तरीके में किसी भी बदलाव के बिना नवीनीकरण के मामले में, संबंधित खाता खोलने का प्रपत्र वैध और जारी माना जाएगा।
- 3 I/We agree that the proceeds of the deposit will be paid on the due date or on request, before the due date (subject to penal clause for premature payment as per RBI #/हम सहमत हैं कि जमा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि पर या अनुरोध पर, निर्धारित तिथि से पहले किया जाएगा (आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की नीति के अनुसार समयपूर्व भुगतान के लिए दंड खंड के
- 4. I/We also understand that, at the discretion of the bank, loan against the deposit may be given to the depositors, who are authorised to withdraw deposit, as per original mandate. मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक के विवेक पर, उन जमाकर्ताओं को जमा राशि के विरुद्ध ऋण दिया जा सकता है, जो मूल अधिदेश के अनुसार जमा राशि निकालने के लिए अधिकृत हैं।
- I/We authorize the bank to allow premature withdrawal of term/fixed deposits to the surviving Depositor (s) and in the case death of all account holders to the nominee,
 - without seeking the concurrence of the legal heirs of the deceased joint deposit holders(s). The said mandate is applicable, if the operating clause of the account is "Either of Survivor" of "Former or Survivor" or "Any One or Survivor" or "Self".

 मैंहम बैंक को, मृतक संयुक्त जमाकर्ता(ओं) के कानूनी वारिसों की सहमित मांगे बिना, उत्तरजीवी जमाकर्ता(ओं) को सावधि/मियादी जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमित देने के लिए और सभी खाताधारकों की मृत्यु की स्थित में नामिती को सावधि/मियादी जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमित देने के लिए अधिकृत करते हैं। उक्त अधिदेश तब लागू होगा, जब खाते का संचालन खंड "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" या "कोई एक या उत्तरजीवी" या "कोई या उत्तरजीवी" या "कोई या कोई य
- We authorize the bank to allow premature withdrawal of term/fixed deposits to the nominee, in case of death of all the account holders without seeking the concurrence of the legal heirs of the deceased joint deposit holder(s.) The said mandate is applicable if the operating clause of the account is "Jointly by all". हम बैंक को, सभी खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, नामिती को मृतक संयुक्त जमाकर्ता(ओं) के कानूनी वारिसों की सहमति मांगे बिना सावधि/मियादी जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति देने के लिए अधिकृत करते हैं। उक्त अधिदेश तब लागू होगा जब खाते का संचालन खंड "सभी द्वारा संयुक्त रूप से" हो।
- Each depositor in a bank is insured upto a maximum of Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh) for both principal and interest amount
- बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए मूल्धन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक का बीमा किया जाता है।

 TDS Details for TD.: Deduct TDS (if applicable Yes No if No, attach Form 15 G/H or Income Tax exemption letter.

Re-KYC:- I/We here by submit that there is no change in my KYC details.

- सावधि जमा के लिए टीडीएस विवरण: टीडीएस कार्टे (यदि लागू हो तो 📗 हाँ 📗 नहीं, यदि नहीं तो, प्रपत्र 15 जी/एच या आयकर छूट पत्र संलग्न करें। No TDS shall be deducted where the aggregate amount of interest credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year does not exceed Rs. 40,000/-on Term deposits. However, the limit for senior citizen remains Rs. 50,000/- साविध जमा पर वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई या जमा या भुगतान की जाने वाली ब्याज की कुल राशि 40,000/- से अधिक नहीं होने पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। हालांकि, विरष्ठ नागरिकों के लिए
- The bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non submission of form 15G/H. To enable us to serve you better, kindly submit the form 15 15G/H in triplicate within the first week every new financial year and for all subsequent deposit booked in the Financial Year.

 प्रपत्र 15जी/एच के विलंब से जमा होने या जमा न करने के कारण होने वाले किसी भी परिणाम या नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, कृपया प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में और वित्तीय वर्ष में बुक की गई सभी बाद की जमाओं के लिए प्रपत्र 15जी/एच तीन प्रतियों में जमा करें।

 As per section 139A (5A) of the Income Tax Act, 1961 every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provisions of the
- As per section 1994 (A) of the income tax Act, 1991 every person receiving any sum of medium from the PAN No is not provided, the bank shall not be liable for the no availment of the credit of tax deducted at source आयक्त अधिनियम, 1961 की धारा 139ए (5ए) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर कटौती की गई किसी भी आय या राशि को प्राप्त कर रहा है, उसे ऐसा कर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन नंबर प्रदान करना होगा। पैन नंबर प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में, स्रोत पर काटे गए कर का क्रेडिट न मिलने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- TDS rates will applicable in accordance with the provisions of income tax Act, 1961. and subject to change as per directives of Finance Ministry Govt. of India. टीडीएस दुर्र आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी।
- I/we hereby give my consent to the processing of my Personal Information and Sensitive Personal Data or Information which I/we hereby voluntarily provide to the Bank and acknowledge that the shared Personal Information and Sensitive Personal Data or Information represents sensitive personal data or information within the meaning of Section 43A of Information Technology Act, 2000 and Section 3 of Information Technology (Reasonable Security Practice and Procedure and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 ("Data"). I/we hereby represent that I/we have been informed of the fact that my Bio-metrics and Data, will be processed and I/we hereby give my voluntary, unequivocal and informed consent hereto. I/we hereby give my consent to the Bank to disclose my/our Data to third parties/vendors and that the Bank shall be entitled to transfer

काहुक रिद्युत्ता का पार पार पार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार का स्वयंत्राता विकास अर्थ के सित्र संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना प्रतिविध्या स्वयंत्र कि के अर्थ के कीतर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना प्रतिविध्यत करती है। मैंहिम एतद्वारा प्रतिविध्यत करताकरती हूं/हैं कि मुझे/हमें इस तथ्य की जानकारी दी गई है कि मेरा बायोमेट्रिक्स और डेटा संसाधित किया जाएगा और मैंहिम एतद्वारा प्रतिविध्यत करता/करती हूं/हैं कि मुझे/हमें इस तथ्य की जानकारी दी गई है कि मेरा बायोमेट्रिक्स और डेटा संसाधित किया जाएगा और मैंहिम एतद्वारा इसके लिए अपनी स्वैधित्व करता/करती हूं/हैं। मैंहिम एतद्वारा के को मेरा/हमारा डेटा तृतीय पक्षों/विक्रेताओं को प्रकट करने की सहमति देता/देती हूं/हैं। मैंहिम एतद्वारा बैंक को भेरा/हमारा डेटा तृतीय पक्षों/विक्रेताओं को प्रकट करने की सहमति देता/देती हूं/हैं। मैंहिम एतद्वारा बैंक को अपूर्तिकर्ताओं, बैंक के कमचारियाँ, बैंक को विपणन और विज्ञापन सेवाए प्रदान करने वालों और बैंक के साथ अन्य संविदात्मक संबंध रखने वाले अन्य पक्षों इत्यादि। मींहम आगे बैंक को अपना डेटा सरकारी एजेंसियों/नियामक/साविधिक निकायों के साथ साझा करने की सहमति देता।देती हूं/हैं, जो कानून के तहत पहचान के उद्देश्य से या कंप्यूटर संदूषक (वायरस) के घुसपैठ या प्रसार की रोकथाम, पता लगाने, जांच, विश्लेषण, साइबर घटनाओं/सुरक्षा सहित, अभियोजन और उससे संबंधित अपराधों की सजा के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मुझे/हमें बैंक द्वारा किसी भी माध्यम से (टेलीफोन कॉल/एसएमएस/ई-मेल इत्यादि) बैंक द्वारा प्रदान की जाने वानी विभिन्न उत्पादों, प्रस्तावों और सेवाओं पर जानकारी प्रदान करने में कोई आपित नहीं है और मैं/हम उपर्युक्त उद्देश्य के लिए बेंक/इसकी समूह कपनियां/इसके एजेंटों/इसके प्रतेटीं/किस प्रतिनिधियों को अधिकृत करता/करती हूँ/हैं। मैं/हम बैंक और उन व्यक्तियों या संस्थाओं को, जिनसे यह मेरा डेटा प्राप्त कर सकता है, या जिनके साथ यह मेरे डेटा को प्रकट या सत्यापित कर सकता है, किसी भी ऐसे डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता से मुक्त और हानिरहत रखने के लिए सहमत हूँ हैं। मैंहिम समझतारसमझती हुँहैं कि, जहां तक किए गए परिवर्तन ग्राहक के हित में हों, बैंक किसी भी समय भविष्य प्रभाव के साथ इस सहमित प्रपत्र में संशोधन या इसे पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैंहिम एतद्वारा इस सहमित प्रपत्र के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करने में कोई आपितत नहीं करता/करती/करते हुँहैं और अपनी सहमित देता/देती हुँहैं।

पुनः-कवाइसाः- माहम एतद्वारा पुष्टि करता/करता/करत हू/ह कि मर कवाइसा विवरण में कोइ परिवर्तन नहीं है।				
Important Note: This form is to be used for such Deposit Accounts where the title remain the same as in case of exiisting SB a/c. In case the Term				
Deposit is issued in name of existing depositor along with some other individual, then his/her KYC formalities must be fulfilled as per KYC Policy.				

महत्वपूर्ण नोट: यह प्रपत्र ऐसे जमा खातों के लिए उपयोग किया जाना है जहां स्वत्वाधिकार मौजूदा बचत खाते के समान रहता है। यदि सावधि जमा मौजूदा

जमाक	ता के साथ किसा अन्य व्याक्त के नाम 1st Applicant Signature (Stamp, if applicable)	पर जारा का जाता है, ता कवाइसा नाात के अनुसार उसक 2nd Applicant Signature (Stamp, if applicable)	3rd Applicant Signature (Stamp, if applicable)
		For Office Use	
स्किएण 02/2025	Transaction Entered by	Approved By	Signature of Branch Head/ Operation Head with Stamp

003 (Version 02/2025 003 Name & Employee Name & Employee Name & Employee ID